

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/राज्य सेवा से पृथक/2019/ दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/जोन-अजमेर वॉल्यूम-1/2018/2768 दिनांक 08.10.2018 के द्वारा क्रम संख्या 4 पर अंकित श्री रामकुमार गुप्ता, कनिष्ठ सहायक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, करौली जिनकी जन्म तिथि 10.07.1959 है को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2019 से सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गये थे। कर्मचारी की राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 19.07.2019 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्रम संख्या 4 पर अंकित आदेश को निरस्त करते हुए श्री रामकुमार गुप्ता, कनिष्ठ सहायक को दिनांक 19.07.2019 से राज्य सेवा से पृथक किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्व0 श्री रामकुमार गुप्ता, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/राज्य सेवा से पृथक/2019/1768

दिनांक : 13/08/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, करौली।
3. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
4. स्व0 श्री रामकुमार गुप्ता, कनिष्ठ सहायक के परिवारजन को द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, करौली।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान, जयपुर